

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नवागढ़, जिला बेमेतरा

ज्ञापन

क्रमांक / 25

/प्र-2/भू-अर्जन/2023

प्रति,

कलेक्टर,
(एन.आई.सी. शाखा)
बेमेतरा

9227
01.02.24

कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा (ख.ग.) नवागढ़, दिनांक 05/01/2024 NIC 01 FEB 2024 कलेक्टर/ अपर कलेक्टर/ अधीक्षक

विषय :- मदनपुर जलाशय के डुबान क्षेत्र में प्रभावित ग्राम मदनपुर प.ह.नं. 09 के धारा-19 की अधिसूचना को प्रकाशन राजपत्र में कराने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मदनपुर जलाशय के डुबान क्षेत्र के अंतर्गत प्रभावित निजी भूमि ख.नं. 68/2 कुल रकबा 0.19 हे. भूमि ग्राम मदनपुर प.ह.नं. 09 तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा के भू-अर्जन प्रकरण के अधिसूचना की 02 प्रति भेजी जा रही है जिसमें कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्रीमान् पदुम सिंह एल्मा के हस्ताक्षर हैं।

कृपया उक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय की ओर प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न- अधिसूचना की 02 प्रतियां।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
नवागढ़, जिला-बेमेतरा

कार्यालय कलेक्टर जिला-बेमेतरा एवं पदेन उप-सचिव

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक/559/अ-82/भू-अर्जन/2021-22

नवागढ़, दिनांक 11/09/23

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की मदनपुर जलाशय के डुबान क्षेत्र में प्रभावित भूमि के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा-19 के तहत यह घोषणा किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन -

1-	जिला	-	बेमेतरा
2-	तहसील	-	नवागढ़
3-	ग्राम/नगर	-	मदनपुर
4-	भूमि का क्षेत्रफल	-	0.19 हे.

खसरा नंबर	रकबा हे. में
1	2
68/2	0.19
योग- (1)	0.19

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(पदुम सिंह एल्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग